



विक्रय के मानक नयम और शर्तें

जब तक विक्रेता को कोटेशन या चालान में अन्य नयम नमूद नहीं किए गए हों, सब तक विक्रय के नमनलल विक्रय नयम और शर्तें ("नियम") विक्रेता द्वारा क्रय को रद्द जानने वाले सभी माल और सेवाओं के प्रस्ताव और विक्रय को नयमित करने में लगे होंगे। कोई भी नयम और शर्त जो क्रय आदेश या अन्य रूप में नमूद हो सकती है, किसी भी नयम और शर्तों को परिलक्षित करेगा, शर्तहीन और नग्नभाषित होगी। किसी आदेश को देने के द्वारा, क्रय इन नयमों को स्वीकार करता है, और विक्रेता द्वारा चालान और सेवाओं का वितरण नगण्य रूप से इन नयमों के अधीन होना माना जाएगा।

1. **परिभाषाएँ।** "क्रय" और "विक्रेता" कोटेशन या चालान किसी कोटेशन या चालान पर अन्तर्गत होते हैं। ब्यौरे या अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा जिससे विक्रेता को प्रस्ताव पूर्ण रूप की रक्षा के लिए विक्रेता आर्थिक समझता है।

चालान पर सबूत सभी उपकरण, माल, या सामग्री किसी कोटेशन या चालान पर सबूत है। **8. सीमित जिम्मेदारी।** सेवाएँ माल और किसी सेवा की विक्रय का प्रस्ताव करने के लिए "सेवा" है विक्रेता द्वारा क्रय को

"कोटेशन" जारी किए जाते हैं और इसके जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अतिरिक्त तिथि होते हैं। **9. माल।** जब तक कोटेशन या माल के लिए प्रकाशित विक्रेता को विक्रय के शर्तों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है। **10. आदेश।** क्राय विक्रेता से माल विक्रय हेतु क्रय को प्रस्तावित है। "चालान" विक्रेता द्वारा क्रय को

प्रदान किए गए माल और सेवाओं हेतु विक्रेता द्वारा स्वीकृत आदेश के लिए कोई लिखित चालान (इन्वॉइस) है। **2. आदेश।** विक्रेता को अपने विक्रय के अधिकार से किसी आदेश को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। क्रय से किसी आदेश की विक्रेता की स्वीकृति क्रय को क्रय अंतर्गत आदेश और विक्रेता द्वारा आर्थिक अन्य शर्तों के अधीन हो सकती है और विक्रेता की पूर्ण लिखित सहमति के बिना क्रय को किसी आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं होगा। **3. कीमतें और कर्तव्य।** कीमतें कोटेशन या विक्रेता की प्रकाशित कीमत अनुसूची में नमूद नहीं की

जाएँगी। कीमतें और ये शर्तें बिना किसी सबूत के अधीन होंगे जब तक विशेष रूप से न

कहा गया हो, सब तक कीमतों में विक्रय, उपयोग, एतसाइज या अन्य इसी तरह के कर या शुल्क ("कर") **11. सेवाएँ।** क्रय को विक्रेता द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ उद्योग के मानकों के अनुरूप विक्रेता को माल की विलंब और सेवाओं के प्राधिकार के संबंध में देय किसी भी और

सभी तल यरेस एभारों, दलाल के शुल्क, करों और अन्य राशियों का भुगतान क्रय को करेगा। यदि इसके अधीन विक्रेता, अपने एकमात्र दायित्व और विक्रेता के एकमात्र और अनन्य उपाय के रूप में, उन सेवाओं का प्रस्तावित माल या सेवा पर कर्तव्य करों का भुगतान करना विक्रेता के लिए आर्थिक है, तो क्रय इस तरह

के करों के लिए विक्रेता को क्रय की प्रस्ताव पूर्ण तिथि करेगा। **4. भुगतान।** क्रय चालान की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर अग्रिम की तिथि में या चालान म

दशाई गई मूल्य में क्रय की उल्लेख धनराशि में ट्रायल टर्मासफर के माध्यम से विक्रेता द्वारा नमूद किसी विक्रेता के या विक्रेता को देय चेक द्वारा सभी चालानों का भुगतान करेगा। भुगतान तब तक प्रस्तावित

गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि विक्रेता को समझौते के तहत नहीं हो जाता है। यदि विक्रेता द्वारा टर्मासफर में क्रय को माल बेचना है, तो विक्रेता को प्रत्येक टर्मासफर के लिए क्रय को चालान देने का अधिकार है और क्रय ऐसे सभी चालानों का भुगतान इसमें यहाँ प्राधिकार किए गए अनुसूची क्रय को किसी भी कटौती, चार्ज सेट-ऑफ, प्रस्तावित, छूट, घटती या अन्यथा द्वारा हो, के बिना सभी भुगतान करेगा। यदि क्रय को किसी भी देय राशि का विक्रेता को भुगतान करने में विफल रहता है, तो क्रय

(a) भुगतान किए जाने तक दैनिक आधार होने वाले, 18% प्रति दिन पर उपाय **(b) कान** षि या **(c) कान** षि

अनुमति अधिकतम राशि में से जो भी कम हो उसके दर पर ब्याज का भुगतान करने के

लिए उत्तरदायी होगा। **5. विलंबिता और स्वीकृति।** विक्रेता माल को कारखाने से बाहर (Ex-Works), विक्रेता की नाम

सुविधा (INCOTERMS 2010) में विलंबित करेगा। क्रय सभी भाड़ा, बीमा, और अन्य आवश्यक षि और

9. अस्वीकृति। विक्रेता और उसके आपूर्तिकर्ता इन शर्तों में प्रस्तावित

सांख्यिकीय ह कससी भी विशेष पैकेजिंग विधि का भुगतान करेगा। विक्रेता उभूत वितरण सुविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से उचित प्रयास करेगा और उसे माल के आतीं शक क्षमतेमेंट हिलिर करने का अधिकार होगा। जब तक क्रेता हिलिर की सुविधि से सार्त (7) रूदनों के भीतर विक्रेता को लहवित्त रूय में कोई नुकसान, क्षत, कमी या अन्य गैर-अनुरूपता अधसूक्त नहं कस्ता है तब तक क्रेता ने हिलिर परमाल सुिकार कर लया माना जाता है। इस तरह के नोस्टस की प्रकृत के अभाति में, क्रेता को माल या सेिाओीं को अस्िकार करने का कोई अधिकार नहं होगा और ऐसे माल के लिए चालान मलू य का भुगतान करने की आिश्यकता होगी। क्रेता को माल की हिलिर को सुिभार्त या विलीं बर् करने का कोई अधिकार नहं होगा। यरुद क्रेता माल की हिलिर सुिीकार करने में विफल रहता है, तौ विक्रेता को क्रेता के जोहिसिम और विचि पर माल के भींारण या भींारण की विसिा करने का अधिकार होगा। हिलिर होनेे तक क्रेता माल के भींारण और बीमा की उचर्त लागतों का भुगतान तुरीं करेगा। विक्रेता के पखू ि लहवित्त प्राधकरण के तना विक्रेता माल की कससी भी िापसी को सुिीकार नहं करेगा।

6. जोहिसिम औि सुित्तिाहिकाि (टाइटल) जब लागू Incoterm के अनुसार माल क्रेता या उसके एजेेंटों को हिलिर कया जाता है तौ माल को नुकसान की क्षर्त का जोहिसिम क्रेता के पास आ जाएगा। जब विक्रेता को माल के चालान मलू य का पूरा भुगतान प्राप्त हो जाता है तौ माल का सुित्तिाधकार क्रेता के पास आ जाएगा। जब तक सुित्तिाधकार क्रेता के पास नहं आता है, तब तक क्रेता विक्रेता के उपनरहती के रूप में एक िेश्िासक आधार पर माल को धारण करेगा। क्रेता रदिलेलाता है क उसके पास इस अनुच्छेद में िशणह नुकसान या क्षर्त के जोहिसिम को आित्तु र् करने के लिए पयिप्त बीमा है। विक्रेता

िारींट देता है क इस तरह के माल के लिए पूरा भुगतान विक्रेता को प्राप्त होने पर माल का

सुित्तिाधकार क्रेता के पास आ जाएगा।

7. एतभूत हिति। पूरा भुगतान कए जानेे तक क्रेता विक्रेता को कीमर्त की अभुर्त शेष की राश में माल में एतभूत र्हरत प्रदान करता है। विक्रेता को इस तरह के एतभूत र्हरत के लिए एक विसुीयन ब्यौरा दायर करने का अधिकार होगा और विक्रेता द्ारिा अनुरोध कए जाने पर क्रेता ऐसे कससी भी

अलभ्यतर्त िारींरटयों को छोडकर, कोई िारींट नह िं देते हैं और एतह्िारिा मलयिा सेिाओीं के सीबन्ध में, त्रना कससी सीमा के, सुित्तिाधकार, व्यापार-योग्यर्ता (मचटें ेबललट), कससी विशेष प्रयोजन के लिए उपयतु रस्ता, गैर-अनरलीधन की, या प्रदशन, िीललसीं ,

उपयोग या ट्ेि के दौरान उतपन्न होनेे

िाल कससी अहनरर्हर्त िारींट सरहर्त, कससी भी अन्य

अलभ्यतर्त, अहनरर्हर्तया िधानक िारींट को

अस्िकार करते हैं।

10. गोपनीय जािकारिा। कससी पाटी द्ारिा प्रकट की गई सभी तकनीकी और / या व्यापारक

जानकार जो या त्तो अलभ्यतर्त रूप से अििा अपनी एकृत्त से गोपनीय के रूप पहचान की जाती है प्राप्तकृि पाटी द्ारिा सञ्चती से गोपनीय रििी जाएगी और प्राप्तकृि पाटी द्ारिा ननमािण, विस्य, िर दया माल का उपयोग या पाटी के दान्यत्तों का प्रदशन करने के प्रयोजनों के अलािा, उपयोग नहं की जाएगी।

11. बीविक संपदा अहिकाि। जैसा क क्रेता और विक्रेता के बीच है, विक्रेता कससी भी पेटेंट, कॉपीराइट, आव्छद कायि (मास्क िकिं), व्यापार रहस्य, ट्ेिमार्क में और के लिए सभी अधिकार, सुित्तिाधकार और र्हरत सुिा माल और सेिाओीं में और के लिए अन्य बीविक सींपदा अधिकारों का सुिासमत्ति रििा है और इन्हें एतधारण करता है। माल का विस्य या सेिाओीं का प्रदशनि, विक्रेता के कससी ट्ेिमार्क या ट्ेि नाम का उपयोग करने की कोई अलभ्यतर्त या अींननर्हर्त अनुरूपर्त नह िं देता है, और क्रेता, विक्रेता द्ारिा या की ओर से पखू ि-वचर्हर्त या ग्वा बनाए गए माल के पुनविक्रि के सींबन्ध के अलािा, कससी भी माल या सेिाओीं के सींबन्ध में विक्रेता के कससी ट्ेिमार्क या ट्ेि नाम का उपयोग नह िं करेगा।

12. अतलंघि। इन नयमों के अधीन, विक्रेता क्रेता को सुुीय पक्ष के इन दािों से क्षतपू र्ति (इींिेसुनफाइ) करेगा, उसका बचाि और उसे हानरर्हर्त करेगा क माल सींयुर्त रीयय अमेरका के

विक्रय के मानक नयम और शर्तें (मई 2012)

14. **कर्मपूजा (इंफ्लिक्शन के शक्ति)**। लागू कानून द्वारा अनुमति प्राप्त कि म सीमा तक, ब्रिक्के त्ता, उसकी सहायक की पनयो, सीबद्धे, मात्ता-व्यक्ता, भागीदारों, उनके उत्तराधिकारियों और समनुदेशकों (असाइन्स), और उनके संबंधित अर्थात् और रिश्तेदार प्रत्येक नदेशकों, अधिकांशियों, कर्मियों और एजेंटों (सामूहिक "ब्रिक्के त्ता इंफ्लिक्शन") को सभी नुकसानों, क्षतियों, दायित्वों, माँगों, दावों, कार्रवाईयों, नणयों, आरोपों, अदालत की लागतों, और कानूनी या अन्य विचारों से और के विरुद्ध ब्रिक्के त्ता बचाव, कर्मपूजा

(इंफ्लिक्शन) और हानिरहित करेगा, कर्ममें शामिल है, सीमा के बना, उचित विकारों का शलु क ("दत्तयति"), इनमें ब्रिक्के त्ता की माल और सेविकाओं की विरुद्ध, बिक्रय या उपयोग से उत्पन्न होने वाले, सीबद्धे, या कसभी रूप में जुड़े कससी विाद, कार्रवाई, या अन्य कायिकिाह का बचाव या समझौता करने के लिए "ब्रिक्के त्ता इंफ्लिक्शन" बनाए रचित सकते हैं: विचि कर सकते हैं: या उत्तरदायी हो सकते हैं कर्ममें सीमा के बना शामिल है, ब्रिक्के त्ता का ऐसे माल या सेविका का दुरुपयोग, या ब्रिक्के त्ता की ओर से चक्र

के कोई अन्य काय, जानबूझ कर कदाचार या लापरवाह, चाहे सक्रय हो या नसक्रय; बशर्ते, हालाँकि, ब्रिक्के त्ता कर्मपूजा (इंफ्लिक्शन) द्वारा जानबूझ कर कदाचार या लापरवाह या इन नयमों में नदेशित ब्रिक्के त्ता के अनुकूलन कर्मपूजा (इंफ्लिक्शन) दायित्वों के लिए इस अनुच्छेद के तहत ब्रिक्के त्ता का कोई कर्मपूजा (इंफ्लिक्शन) दायित्व नहीं होगा।

15. **विक्री की शक्ति**। यद्द दोनों में से कोई भी पाटी इन नयमों को लागू करने के लिए अन्य पाटी के विरुद्ध कोई कानून की कार्रवाई शुरू करती है, तो प्रबल पाटी गैर-प्रबल पाटी से विकारों के उचित शलु क और लागूते विाद करने की हकदार होगी।

16. **अप्रत्याशित घटना**। ब्रिक्के त्ता अपने उचित नयमों पर से परे घटनाओं या परस्परविरोधों के कारण विकारों या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. **समिद्ध शक्ति (असाइन्मेंट)**। ब्रिक्के त्ता को, ब्रिक्के त्ता की पक्षि वि लक्षित सहमति सहित को छोड़कर, कोटेशन या आदेश को पूरा या आधी शक रूप से, समनुदेशकों (असाइन्) या स्वीकृतितरत करने कअधिकार नहीं होगा। ब्रिक्के त्ता को अपने अधिकारों का समनुदेशकों (असाइन्) करने, या अपने दायित्वों या उनके कससी हससे को कससी सहबद्ध या अपने विसाय या परस्परविरोधों के उत्तराधिकार इनसे ये नयम सीबद्धे हैं को प्रत्याशित या उप-साविदा करने का अधिकार है।

18. **संयुक्त तिाह अभिसमय (कन्विेंशन)**। माल की अतिरिक्त विक्रय के लिए साविदा पर सींयुत त्राषट के अभिसमय (कन्विेंशन) इन नयमों पर लागू नहीं होंगे।

19. **विाद समाविाि औि शासी काि** ।

a. यद्द दोनों पार्टियों अमेरिका की निकासी हैं त्तो (i) ये नयम इसके कानून ों के सघषि के प्राधानों के सीदमि के बना कोलोरारि के रायय और सींयुत रायय अमेरिका के कानून ों द्वारा नफीं विहोंगे; (ii) इन नयमों से सीबद्धे कसभी भी कार्रवाई, विाद या कायिाह के लिए अनन्य विाधिकार और स्वििल, विेनिसर, कोलोरारि, सींयुत रायय अमेरिका के शहर और काउंटी में स्वििसींपीय या रायय की अदालतों में होगा; (iii) कसभी भी कार्रवाई, विाद, या कायिाह के लिए प्रत्येक

पाटी कोलोरारि के रायय में अनय वक्तवत अधिकार वि में प्रस्तुत होती है।

b. यद्द दोनों में से कोई एक पाटी अमेरिका निकासी नहीं है, तो इन नयमों से उत्पन्न होने वाले या सबद्ध कोई भी दावे या विाद, कर्ममें शामिल ह लके इनहीं तक सीदम नहीं हैं, इसका उल्लंघन, कस्तवि, विेधता या विरतनीयता (i) न्यूस ऑर्के, न्यूस ऑर्के सींयुत रायय अमेरिका में स्वििसींपीय बाध्यकार आबिेशन द्वारा तय कए जाएँगे; और (ii) न्यूस ऑर्के के रायय और सींयुत

विक्रय के मानक नयम और शक्तें (मई 2012)

किया जा सकता है। कससी अिसर पर कससी प्राधान का अध्याग या लागू करने की विकलता कससी अन्य प्राधान का या कससी अन्य अिसर पर इस तरह के प्राधान का अध्याग नहीं माना जाएगा। यहाँ नरहत अनुच्छेद शीषक के विल संबंधि की सुविधा के इरादे से हैं और कससी भी प्राधान की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे। यद्द इन नयमों का कोई प्राधान नवबद्ध या लागू करने योग्य ठहराया जाता है, तो पार्टियों त्रित अमान्य प्राधान के लिए कोई मान्य और रिश्तनीय प्राधान स्विानापत्र करेगी जो विेध प्राधान के उद्देश्य और आबिक प्रभाि के सबसे नकट अनुमानत हो और शेष प्राधान पूरे प्रभाि में जा

रहेंगे। इन नयमों की समाप्ति के बाद भी अनुच्छेद 1, 9, 10, 11, 13, और 15-23 प्रभाि रहेगी।